न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/96

1. रोडू आयु 75 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवीकिशन आयु 72 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण दोनों सगे भाई हैं उनके पिता शोजी के जीवनकाल में दोनों वादीगण ने साथ–साथ रहते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 10 बीघा ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को संयुक्त रूप से पडत से फाड कर आबाद किया था । वादीगण ने उक्त भूमि पर लगभग 60 फीट गहरा कुआ खुदवाया था । उक्त कुए ही वादीगण अपनी भूमि को सिचिंत करते हैं । वादी रोडू बडा भाई है और संयुक्त परिवार का कर्ता था इस कारण वक्त आवंटन उक्त भूमि अकेले वादी रोडे के नाम पर

आवंटित करवा ली । वादीगण इस भूमि को संयुक्त रूप से समान हिस्से में खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । उक्त भूमि वादी रोडू के नाम पर आवंटित की गई है किन्तु जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर तीन साला बिकीदार दर्ज हो रहा है । इस श्रेणी का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में काश्तकारी प्रावधान नहीं है । वादीगण ने आवंटन शर्तो की पालना कर दी है और वे वैधानिक रूप से खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 482/621, खसरा नम्बर 483, 484, 485, 486 एवं 782/616 कुल किता 06 की रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज है और वादीगण उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण वैधानिक खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं किन्तु अभी तक रोडू को तीन साला बिकीदार दर्ज किया हुआ होने के कारण पटवारी हल्का ने भूमि को सिवायचक मानते हुए बदेखल करने की धमकी दी है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर दोनों वादीगण को समान हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित किया जावे । प्रतिवादी राजस्थान राज्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें और उनके शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.03.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार की ओर से परीक्षण न्यायालय में कोई साक्ष्य दस्तावेजी एवं मौखिक प्रस्तुत नहीं की गई है और वादीगण के कथनों एवं साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है इसके बावजूद वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी पर गत 50 वर्षों से खातेदार के स्थान पर वादी रोडू 03 साला बिकीदार दर्ज है । इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी वादी रोडू को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन राशि पर बेचान की गई है । बेचान किये जाने की अवधि नहीं होती है । बेचान सदैव के लिए होता है । वादग्रस्त आराजी भूमिहीन काश्तकार को आवंटन मूल्य पर दी गई है । ऐसी स्थिति में 03 वर्ष की अवधि के लिए बेचान लिखा जाना त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 12.04.2021 को

आवेदन किया था जिस पर दिनांक 29.04.2021 को नकल प्राप्त हुई उसके पश्चात् कोविड – 19 के कारण लॉक डाउन होने से आवागमन बन्द रहा इस कारण उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 594 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि को वादीगण ने फाडकर अपने पिता के साथ रहते हुए आबाद किया था । इस भूमि पर लगभग 40 वर्ष पूर्व 60 फीट गहरा एक कुआ वादीगण ने संयुक्त मेहनत करके एवं धन खर्च करके खुदवाया है जिससे उक्त भूमि सिचिंत होती है । रोडू बडा भाई होने से संयुक्त परिवार का कर्ता है । इस कारण वक्त आवंटन उक्त भूमि अकेले रोडू के नाम पर आवंटित करवा ली गई । यद्यपि दोनों वादीगण इस भूमि में संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं और समान रूप से खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त भूमि कृषि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है किन्तु जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर वादी रोडू को 03 साला बिकीदार दर्ज किया हुआ है । इस श्रेणी का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में काश्तकार होने का प्रावधान नहीं है । वादीगण ने आवंटन शर्तों की पालना कर दी है । इस कारण उक्त भूमि संयुक्त रूप से वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जावे । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार की ओर से जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर हो रही प्रविष्टि के बाबत् कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जबकि इस प्रविष्टि के बाबत् स्पष्टीकरण करने का दायित्व राजस्थान राज्य का है । जमाबन्दी की इस प्रविष्टि से वादग्रस्त आराजी वादीगण के पक्ष में बेचान किया जाना माना चाहिए था परन्तु परीक्षण न्यायलय ने उक्त प्रविष्टी के आधार पर भूमि को सदैव के लिए बेचान/आवंटन नहीं मानकर त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का वाद प्रस्तुती के पूर्व 50 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर स्वयं को खातेदार प्रकट करते हुए स्वतंत्र रूप से कब्जा काश्त चला आना प्रमाणित हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के वैधानिक खातेदार बन चुके हैं और राज्य सरकार का वादीगण को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सदैव के लिए अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1963 पेज 71 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को अपने पक्ष में आवंटन होने का कथन करते हैं परन्तु उनके द्वारा उक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । वादीगण अपीलान्ट ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है । राजस्व अधिनियम में कहीं बिकीदार की अवधारणा नहीं है, एडवर्स पजेशन का कोई सिद्धान्त नहीं, सरकारी सिवायचक भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा

सकते । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कुम्हरला में खाता संख्या नया 52 की खसरा नम्बर 482/621, 483, 484, 485, 486 एवं 782/616 कुल किता 06 की रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि रोडू, दवेकिशन पि0 शोजी के खातेदारी में दर्ज है । जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कुम्हरला में खाता संख्या नया 101 की खसरा नम्बर 594 रकबा 10 बीघा भूमि रोडू वल्द शोजी 3 साला बिक्रीदार दर्ज है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 3 संलग्न है ।

13. वादी की ओर से बयान रोडू पीडब्ल्यू–1, देवकिशन पीडब्ल्यू–2, मदन बैरवा पीडब्ल्यू–3, रामकरण पीडब्ल्यू– 4, शोजी पीडब्ल्यू– 5 कराये गये हैं ।

14. वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया था उक्त भूमि वादी रोडू को परिवारकर्ता होने से उनके नाम आवंटित की गई थी परन्तु उक्त भूमि को दोनों वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं इसलिए उक्त भूमि दोनों वादीगण के नाम हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की जावे । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श– 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 101 की खसरा नम्बर 594 रकबा 10 बीघा भूमि रोडू वल्द शोजी 3 साला बिक्रीदार दर्ज है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि अपने नाम आवंटन होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है और न ही आवंटन आदेश की कोई प्रति पेश की है जिससे उक्त भूमि वादी अपीलान्ट रोडू के पक्ष में आवंटित होना साबित हो । उक्त भूमि वर्तमान में 3 साला बिक्रीदार दर्ज है । अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उक्त भूमि गलत रूप से 3 साला बिक्रीदार दर्ज कर दी गई है । वादी ने स्वयं के खातेदार सिद्ध करने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । वादी का स्वयं का दायित्व होता है कि वह अपना वाद स्वयं सिद्ध करे । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाये हैं । इसके अलावा वादी अपीलान्ट कम 02 देवकिशन वादग्रस्त आराजी में अपना नाम 1/2 हिस्से में किस प्रकार दर्ज करवाना चाहते हैं किसी दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे

एवं जवाबदावे के आधार पर 03 तनकी कायम की थी जिन पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/96

1. रोडू आयु 75 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवीकिशन आयु 72 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 105/दावा/2016

1. रोडू आयु 75 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवीकिशन आयु 72 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.08.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा